सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-103/JH/3/2021-RO-RNC Date : 30/11/2023

To,

Shri Kaushal Kishore
Sr. Superintendent of Police,
District - East Singhbhum
Subarnarekha Link Rd,
Jubilee Park, Sakchi, Jamshedpur
East Singhbhum -831001 (Jharkhand)
Email: ssp-jsr@jhpolice.gov.in

Sub: Mrs. Suru Laguri, Husband – Mr. Ajmohan Laguri, Address – Birsanagar, Zone No – 2B, Near Duden English High School, PO + Police Station – Birsanagar, Jamshedpur, District – East Singhbhum regarding death threats from an unknown mobile number for withdrawing the application. Inaction by the Thana Police (STSC Police Station) Jhamshedpur.

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the Meeting held on 01.11.2023 under the Chairmanship of Shri Ananta Nayak, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for information and necessary action.

Encl: as above

Yours faithfully

(H.R. Meena)
Research Officer
Email ID : researchofficer-apcr@ncst.nic.in

Copy to:-

1- **Shri Ajmohan Laguri**,
Birsanagar, Zone No – 2B,
Near Duden English High School,
PO + Police Station – Birsanagar,
Jamshedpur,
District – East Singhbhum

2- PS To Hon'ble Member, NCST.
3- NIC, NCST.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-103/JH/3/2021/RO-RNC

पैतृक सम्पति पर लगे पेड़ – पौधों को नष्ट करने से रोकने पर दो बदमाशों (पुरुष) द्वारा गर्भवतीं अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ मार-पीट, गाली – गलोज और बचाने आये पति से भी मार-पीट करने पर स्थानीय थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के सम्बन्ध में श्रीमति सुरू लागुरी, पति - श्री अजमोहन लागुरी, ग्राम-बिरसानगर , जोन नं॰- 2 बी (डडेन इंग्लिश हाई स्कूल के पास), पो॰ थाना - बिरसानगर, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम के मामले में आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2023 को आयोग में हुई मीटिंग का कार्यवृत ।

****

मीटिंग की तिथि	:	01.11.2023
मीटिंग में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

****

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में श्रीमती सुरु लागुरी, पति – श्री अजमोहन लागुरी, पता – बिरसानगर, जोन न० – 2 बी, डडेन इंग्लिश हाईस्कूल के पास, पो०+ थाना – बिरसानगर, जमशेदपुर, जिला – पूर्वी सिंहभूम से अभ्यावेदन दिनांक 10-06-2021 प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 19-04-2021 (सोमवार) को उनकी पैतृक संपत्ति पर लगे पेड़-पौधों को नष्ट करने से मना किया गया तो दो बदमाश पुरुषों द्वारा उनके साथ मार-पीट की गई जबकि वह 6 माह की गर्भवती थी । जब उन्हें बचाने उनके पति आये तब उनके साथ भी मार-पीट कर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जिसकी शिकायत बिरसानगर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना में दिनांक 20-04-2021 को की,पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई |

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिनों की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के लिए पुलिस अधीक्षक,जिला - पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड को नोटिस दिनाक -28/01/2022 भेजा गया है |जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ |

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 01.11.2023 को पुलिस अधीक्षक, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड के साथ आयोग में सुनवाई/मीटिंग तय की गयी |

4. प्रकरण में मीटिंग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता श्रीमति सुरू लागुरी उपस्थित नहीं हुई | प्रकरण में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता श्रीमती सुरु लागुरी की शिकायत पारिवारिक पैतृक सम्पति को लेकर है जो उसको मिला कर चार बहनों के बीच है जिस पर बिरसानगर थाने में अप्राथमिकी संख्या 25/2021 के तहत कार्रवाई की गयी है। उन्होंने अवगत कराया कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 25/10/2023 को पुनः एक आवेदन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची में समर्पित किया गया, जिसकी एक प्रति थाना प्रभारी एस.टी./एस.सी थाना, बिरसानगर को भी दी थी और कहा था कि वे पूर्व के आवेदन में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहती है तथा अंकित किया गया है कि घटना पारिवारिक विवाद से सम्बंधित थी जिसमें चारों बहनों में सामाजिक रूप से विवाद को सुलझा लिया गया है एवं वे सभी अपने – अपने घरो में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। | उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में थाना बिरसानगर द्वारा भी निरोधात्मक कार्रवाई की गयी थी जिस पर कथित विवाद को दोनों पक्षों ने सामजिक रूप से समझा/सुलझा लिया है |

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. बैठक के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं -:

- आवेदिका की शिकायत का समाधान हो गया है अतः आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है |
- चूंकि मामला पारिवारिक प्रकृति का है अतः आग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नही है | अतः आयोग में मामला बंद किया जाना उचित है|
- प्रकरण में भविष्य में कोई विवाद होता है तो सामाजिक रूप से समझाकर ही निपटान किया जाये

अनंत नायक

(अनंत नायक)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-103/JH/3/2021-RO-RNC

Sitting to be held on 01.11.2023 at 04:30 P.M. in the case of Mrs. Suru Laguri, Husband – Mr. Ajmohan Laguri, Address – Birsanagar, Zone No – 2B, Near Duden English High School, PO + Police Station – Birsanagar, Jamshedpur, District – East Singhbhum regarding death threats from an unknown mobile number for withdrawing the application., Police (STSC Police Station) did not take proper action on petitioner application.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Ananta Nayakа Hon'ble Member	In Chair	
2.	Sh. R.K. Dubey	Dy. Dir	[signature]
3.	Sh. H.R. Meena	RO	[signature]
4.	Sh Radhakanta Tripathy	Spl. Rapporteur	[signature]
5.			
5.			
6.			
7.			
II	**Officers from District East Singhbhum, Jharkhand.**		
1.	Kishor Kaushal	SSP East Singhbhum.	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			